विधान परिषद् के तृतीय सत्र, 2024 के प्रथम सोमवार हेतु निर्धारित श्री मुकुल यादव, मा० सदस्य विधान परिषद् द्वारा पूँछे गये तारांकित प्रश्न संख्या-23 का उत्तर-

<table>
<tr><th>प्रश्न</th><th colspan="2">उत्तर</th></tr>
<tr><td rowspan="6">-23(क) क्या स्टाम्प तथा न्यायालय शुल्क एवं पंजीयन मंत्री बतायेंगे कि जनपद-मैनपुरी, की तहसील सदर, उप निबन्धक कार्यालय की स्टाम्प देयता की सूची के सामान्य निर्देश क्रमांक 8-में भूतल के अलावा अन्य तलों के वाणिज्यिक भवनों के निर्माण का प्रतिशत तो दिया गया है, परन्तु भूतल पर निर्मित वाणिज्यिक भवनों की दरों का उल्लेख नहीं किया गया है ?</td><td colspan="2">जनपद मैनपुरी की तहसील सदर उप निबन्धक कार्यालय की मूल्यांकन सूची प्रभावी दिनांक 07.12.2016 के सामान्य निर्देश क्रमांक-8 में वाणिज्यिक भवनों (निर्माण) की जो दरें इस सूची में निर्धारित की गयी हैं वे सभी दरें भूतल पर स्थित वाणिज्यिक प्रतिष्ठानों की हैं। वाणिज्यिक भवन की स्थिति बेसमेन्ट में या प्रथम तल पर होने की दशा में सम्पत्ति की उक्त निर्धारित दर के 90 प्रतिशत तथा द्वितीय तल व तृतीय तल पर स्थित हेतु उक्त निर्धारित दर के 80 प्रतिशत के आधार पर न्यून्तम मूल्य की गणना की जायेगी। तृतीय तल या उससे अधिक तल पर स्थिति की दशा में ऐसी वाणिज्यिक के न्यूनतम मूल्य की गणना उक्त सूची में निर्धारित भूतल स्थित निर्माण की दर के 70 प्रतिशत के आधार पर की जायेगी।''
जिलाधिकारी मैनपुरी द्वारा दिनांक 30 जुलाई, 2021 से दिनांक 07.12.2016 से प्रभावी मूल्यांकन सूची के क्रमांक-8 में संशोधन निम्नवत् किया गया है-
''इसी के साथ दर सूची के सामान्य निदेश में निम्नलिखित स्पष्टीकरण जोड़ा जाता है-</td></tr>
<tr><td>1</td><td>उप निबन्धक कार्यालय करहल की दर सूची के सामान्य निर्देश संख्या</td></tr>
<tr><td>2</td><td>समस्त उप निबन्धक कार्यालय की दर सूची में जहां भी ''किराया'' शब्द आया है, उसे विलोपित किया जाता है।</td></tr>
<tr><td>3</td><td>वाणिज्यिक भवनों के निर्माण की दरें वही होगी, जो वर्तमान में आवासीय भवनों के निर्माण हेतु निर्धारित है।</td></tr>
<tr><td>4</td><td>वाणिज्यिक भवनों के मूल्यांकन में कोई मूल्यह्रास अनुमन्य नहीं होगा।</td></tr>
<tr><td colspan="2">मूल्यांकन सूची के प्रारूप 2, 3 व 4 में वाणिज्यिक भूमि की दरें निर्धारित की गयीं हैं।</td></tr>
<tr><td>(ख) क्या उक्त सूची के अन्दर भूतल पर निर्मित वाणिज्यिक भवनों की दरें निर्धारित हैं ?</td><td colspan="2">जिलाधिकारी मैनपुरी द्वारा मूल्यांकन सूची प्रभावी दिनांक 07.12.2016 तथा संशोधन दिनांक 30.07.2021 द्वारा वाणिज्यिक भवनों के निर्माण व भूमि दरों को अलग-अलग निर्धारित कर दिया गया है।</td></tr>
<tr><td>(ग) यदि नहीं, तों क्यों?</td><td colspan="2">प्रश्न ही नहीं उठता।</td></tr>
</table>

रवीन्द्र जायसवाल
राज्यमंत्री (स्वतन्त्र प्रभार),
स्टाम्प तथा न्यायालय शुल्क एवं पंजीयन विभाग,
उत्तर प्रदेश।